न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

भंवरलाल बनाम कमला वगैरह

किस्म मुकदमा– 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

प्रकरण संख्या –: 74/2025 (मसूदा)

क्षेत्राधिकार में पोषणीय नही होने से खारिज
24/01/25

श्री ज्ञानचंद गादिया

भंवरलाल बनाम कमला वगैरह (2025/74)

24.01.2025

यह अपील श्री ज्ञानचंद गदिया एडवोकेट ने विद्वान सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 84/2024 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 के विरूद्ध अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत पेश की गई। अपील बाद जांच रिपोर्ट होकर पेश की गई। अपील के पुश्त पर की गई रिपोर्ट में क्षेत्राधिकार के बारे मे यह नोट अंकित किया गया कि बहस आवश्यक है। अभिभाषक अपीलांट को अपील के क्षेत्राधिकार पर सुना गया।

अभिभाषक अपीलांट के द्वारा की गई बहस पर मनन किया गया एवं पत्रावली व प्रस्तुत दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। बाद अवलोकन उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, मसूदा द्वारा प्रकरण संख्या 84/2024 में पारित आदेश दिनांक 19.12.2024 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 जा.दी. प्रस्तुत किये जाने पर दिनांक 06.11.2024 को अप्रार्थीगण को नोटिस जारी किये जाने के आदेश दिये तथा दिनांक 19.12.2024 को वकील वादीगण की प्रार्थना–पत्र पर बहस सुनी जाकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09नियम 09 जा.दी. को स्वीकार किया जाकर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को रेस्टोर किये जाने के आदेश दिये गये है। सी.पी.सी. के आदेश 43 नियम 01(ग) में अंकन है कि वाद की खारिजी को अपास्त करने के आदेश के लिए (ऐसे मामलें में जिसमें अपील होती है) आवेदन को नामंजूर करने का आदेश 9के नियम 9 के अधीन दिया गया हों। उक्त अपील अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत आदेश 09 नियम 09 सी.पी.सी. को स्वीकार कर प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.काश्तकारी अधिनियम को पुनः नम्बर पर लिये जाने के आदेश के विरूद्ध पेश की गई है जो कि सी.पी.सी. के आदेश 43 नियम 1 के तहत् हाजा न्यायालय में पोषणीय नहीं है।

अतः अपील न्यायालय के क्षेत्राधिकार में पोषणीय नहीं होने से खारिज की जाती है। अपील को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, नम्बर से की जावें। आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

Scanned with CamScanner